

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक-सह-सहायक आयुक्त,
नागरिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उपमुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 106- सिविल रक्षा, उपशीर्ष- 0004-प्रशिक्षण विपत्र कोड-39-2070001060004 के अन्तर्गत कुल ₹247000 (दो लाख सैतालीस हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उपमुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 106- सिविल रक्षा, उपशीर्ष- 0004-प्रशिक्षण के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्नप्रकार है :-
लघु शीर्ष-106- सिविल रक्षा
उपशीर्ष-0004-प्रशिक्षण
मांग संख्या-39

(राशि रुपये में)

| क्र. | विस्तृत शीर्ष | विषय शीर्ष | पूर्व आवंटन | वर्तमान आवंटन | योग |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01-वेतन | 01 वेतन | 2641000 (छब्बीस लाख इकतालीस हजार) | 0 (शून्य) | 2641000 (छब्बीस लाख इकतालीस हजार) |
| 2 | | 03 जीवन यापन भत्ता | 3459000 (चौतीस लाख उनसठ हजार) | 0 (शून्य) | 3459000 (चौतीस लाख उनसठ हजार) |
| 3 | | 04 मकान किराया भत्ता | 528000 (पाँच लाख अठाईस हजार) | 0 (शून्य) | 528000 (पाँच लाख अठाईस हजार) |
| 4 | | 05 परिवहन भत्ता | 30000 (तीस हजार) | 0 (शून्य) | 30000 (तीस हजार) |
| 5 | | 06 चिकित्सा भत्ता | 26000 (छब्बीस हजार) | 0 (शून्य) | 26000 (छब्बीस हजार) |
| 6 | | 07 अन्य भत्ता | 2000 (दो हजार) | 0 (शून्य) | 2000 (दो हजार) |
| योग 01-वेतन | | | 6686000 (छियासठ लाख छियासी हजार) | 0 (शून्य) | 6686000 (छियासठ लाख छियासी हजार) |
| 7 | 06- चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 66000 (छियासठ हजार) | 84000 (चौरासी हजार) | 150000 (एक लाख पचास हजार) |
| 8 | 11-यात्रा व्यय | 01 यात्रा व्यय | 66000 (छियासठ हजार) | 84000 (चौरासी हजार) | 150000 (एक लाख पचास हजार) |
| 9 | 13-कार्यालयी व्यय | 01 कार्यालय व्यय | 110000 (एक लाख दस हजार) | 40000 (चालीस हजार) | 150000 (एक लाख पचास हजार) |
| 10 | | 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव | 375000 (तीन लाख पचहत्तर हजार) | 0 (शून्य) | 375000 (तीन लाख पचहत्तर हजार) |
| 11 | | 03 दूरभाष | 37000 (सैतीस हजार) | 13000 (तेरह हजार) | 50000 (पचास हजार) |
| 12 | | 04 विद्युत प्रभार | 37000 (सैतीस हजार) | 13000 (तेरह हजार) | 50000 (पचास हजार) |
| 13 | | 06 वर्दी/ पोशाक | 10000 (दस हजार) | 0 (शून्य) | 10000 (दस हजार) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| विस्तृत शीर्ष | विषय शीर्ष | पूर्व आवंटन | वर्तमान आवंटन | योग | |
| 14 | 14 - किराया दरें और कर | 01 किराया महसूल एवं कर | 37000 (सैतीस हजार) | 13000 (तेरह हजार) | 50000 (पचास हजार) |
| 15 | 20 - अन्य प्रशासनिक व्यय | 02 कॉन्फरेन्स, कार्यशाला, सेमिनार | 300000 (तीन लाख) | 0 (शून्य) | 300000 (तीन लाख) |
| 16 | | 03 प्रशिक्षण व्यय | 1000000 (दस लाख) | 0 (शून्य) | 1000000 (दस लाख) |
| 17 | 21- सामग्री और आपूर्ति | 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ | 750000 (सात लाख पचास हजार) | 0 (शून्य) | 750000 (सात लाख पचास हजार) |
| योग -39- 2070-00-106-0004- प्रशिक्षण | | | 9474000 (चौरानवे लाख चौहत्तर हजार) | 247000 (दो लाख सैतालीस हजार) | 9721000 (सनतानवे लाख इक्कीस हजार) |

4. यह आवंटन पुलिस अधीक्षक-सह-सहायक आयुक्त, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार के पत्रांक 613 दिनांक 30.11.17 द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। अनुरोध है कि कार्यालयी व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यावसायिक सेवाएँ आदि विस्तृत शीर्षों में मितव्ययिता बरती जाय तथा यात्रा भत्ता भुगतान के पूर्व स्वयं संतुष्ट हो लिया जाय कि बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। स्वयं संतुष्टि के उपरान्त ही यात्रा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। किसी तरह की अनियमितता की स्थिति में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। उक्त मद के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

5. जिलों द्वारा उक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गई राशि का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक- 17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

7. इस आवंटन आदेश की प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ" उल्लिखित करते हुए तुरन्त रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

8. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.3.2018 तक निश्चित रूप से विभाग को कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

9. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/--

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, पटना/पूर्णियाँ/बेगूसराय/कटिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 21/12/17

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव